		Statutory or Autonomous Organisations- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five year's regular service in the Stenographers Grade-I in Level 6 (Rupees 35400-112400) of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (ISTC) including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation (ISTC) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Pay commission.		

[F. No. A-12018/03/2012-EG]

NIRMALA DEV, Dy. Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

सा.का.नि.12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र की प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2016 की अनुसूची के,-

(i) स्तम्भ 4 में,-

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ख) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर-7"

(ii) स्तम्भ 11 में-

(क) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन, "वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ग्रेड वेतन 4200 रूपए के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) टिप्पण 2 में शब्दों और अंकों "प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा;

(ग) क्रम संख्या (ii) के सामने शीर्षक प्रतिनियुक्ति के अधीन "वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ग्रेड वेतन 4200 रूपए" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।"

[फा.सं. 21/10/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

अजय कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 247 द्वारा तारीख 26 दिसंबर, 2015 को प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 9th January, 2017

G.S.R.12.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Senior Translator Recruitment Rules, 2015 namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Ground Water Board, Senior Translator Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule of the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Senior Translator Recruitment Rules, 2016, -

(i) in column 4,-

(a) for the heading the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the Pay Matrix";

(b) for the entries the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-7"

(ii) in column 11,-

(a) under the heading Promotion, for the words, letters and figures "Pay band 2, (Rs.9300-34800) and grade pay of Rs.4200 with five years regular service in the grade" the words and figure "Level-6 in the Pay Matrix" shall be substituted;

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years'. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For the purposes of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. A. 12018/02 /13-RS]

SUNIL PANT, Under Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली ,16 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि.247.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक भर्ती नियम, 1982 के उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में ज्येष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती नियम 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है। या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ अनुवादक	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ``ख`` अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन बैंड -2 (9300-34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4200 रु. के ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के कनिष्ठ अनुवादक और जिन्होंने केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से दो सप्ताह का अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड -अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भू-जल बोर्ड - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक; या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है; अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी और स्वायत्त निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी

(क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड 2, (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4200 रु. में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और

(ख) जो नीचे दी गई शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं रखता हो :-

आवश्यक :

(:) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में अनिवार्य रूप में या वैकल्पिक रूप या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में विषयों में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी विषय के साथ अनिवार्य रूप से या वैकल्पिक रूप से या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी विषय में मास्टर डिग्री ; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी विषय से भिन्न किसी अन्य विषय में हिन्दी माध्यम में मास्टर डिग्री और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हो या डिग्री स्तर पर

3. वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय भू-जल बोर्ड -सदस्य
4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय भू-जल बोर्ड -सदस्य

परीक्षा का माध्यम हो, या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी विषयों से भिन्न किसी अन्य विषयों में अंग्रेजी माध्यम में मास्टर डिग्री, और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार कार्यालयों, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार उपक्रम भी है, में हिन्दी से अंग्रेजी और इसके विपर्यन अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 :- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. 21/13/2009-सीजीडब्ल्यूबी]

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 16th December, 2015

G.S.R.247.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board, Senior Hindi Translator Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Senior Translator** in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, **Senior Translator** Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay band, grade pay or pay scale.**- The number of post, its classification and pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Translator	01*(2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'B'), Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-2 (Rs.9300-34800) and Grade Pay Rs.4600.	Selection Post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation including short term contract

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Translator of Central Ground Water Board in the Pay band-2,(Rs.9300-34800) and grade pay of Rs.4200 with five years regular service in the grade, and should have successfully completed two weeks translation training course from Central Translation Bureau or from any other institution recognized by the Government. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation:** Officers from the Central or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Statutory and Autonomous Bodies or Recognised Research Institutions or Universities: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band 2, (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4200 ; and (b) possessing the educational qualifications and other qualifications as under: **Essential:** ( ) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Chairman, Central Ground Water Board — Chairman. 2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member. 3. Scientist 'D', Central Ground Water Board – Member. 4. Senior Administrative Officer or Administrative Officer, Central Ground Water Board – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination as a compulsory or elective subject at the degree level; and

(ii) Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & Vice Versa from recognized institution, or three years experience of translation work from Hindi to English or vice-versa in a Central or State Government office, including Government of India Undertaking.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay and where this benefit shall be extended only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F.No. 21/13/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.